जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा / अ.आ. / एल.पी.सी. / 13 / डी– 185   दिनांक– 11-2-13

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **92वीं बैठक दिनांक: 11.01.13 को प्रात: 10.30 बजे** जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में **"चिन्तन सभा कक्ष"** में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		92:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 91वीं बैठक **दिनांक 12.11.12 के कार्यवाही विवरण** का अनुमोदन व **64वीं** से 91वीं **बैठक** में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा।	**91वीं बैठक दिनांक 12.11.12 :–** प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 91वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया। पालना रिपोर्ट की समीक्षा करने पर प्रस्ताव सं. 65:3, 74:6(1), 75:8(11), 78:3, 87:6, 88:6, 88:7, 88:10(1), 89:2, 89:11(1), 90:6, 90:7, 90:8, 90:11, 90:15, 90:25, 90:25(1), 90:25(2), 90:25(3), 90:25(5), 90:25(6), 91:3, 91:7(1), 91:7(2), 91:7(3) में पालना हो जाने के कारण ड्रोप करने का निर्णय लिया गया। आयुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि अवशेष निर्णयों की अनुपालना संबंधित उपायुक्त से शीघ्र कराई जावे।
2.	8	92:2	थडी ठेला व्यवसायियों के लिए ग्राम सांगानेर के खसरा नं. 638 रकबा 0.35 हेक्टे. भूमि नगर निगम जयपुर के लिए आरक्षित करने बाबत।	जयपुर थडी टेला व्यवसायियो को सांगानेर के मुख्य बाजार से हटाकर संगम सिनेमा के पास स्टेशन रोड सांगानेर पर व्यवस्थित करने हेतु नगर निगम जयपुर ने उक्त भूमि के बाबत अनापत्ति प्रमाण–पत्र चाहा है। उपायुक्त जोन 8 के प्रस्तावानुसार ग्राम सांगानेर के खसरा नं. 638 रकबा 0.35 हेक्टे. भूमि पर सडक व समुचित प्लानिंग करते हुए इन व्यवसायियों को बसाने हेतु नगर निगम जयपुर को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि की कीमत की गणना आरक्षित दर से की जाकर नगर निगम को देय हिस्सा राशि में समायोजित की जावे।
3.	12	92:3	वन विभाग हेतु ग्राम दहमींकंला तहसील सांगानेर में भूमि आवंटन के संबंध मे।	वन विभाग को ग्राम दहमीकंला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 414 रकबा 0.66 हेक्टे. व खसरा नं. 380 रकबा 0.34 हेक्टे. कुल 1 हेक्टे. चरागाह भूमि नर्सरी की भूमि जविप्रा द्वारा मणिपाल यूनिवर्सिटी को आवंटन करने से उसकी एवज में वन विभाग को नर्सरी हेतु आवंटन की गई थी जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
4.	10	92:4	श्री इब्राहिम पुत्र अल्लादीन को भूखण्ड सं. ए–431 योजना पालडी मीणा के स्थान पर अन्य भूखण्ड आवंटन बाबत।	श्री इब्राहिम पुत्र अल्लादीन को वर्ष 2001 की पर्ची के अनुसार वर्ष 2012 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उपायुक्त द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। पत्रावली के अवलोकन से इब्राहिम द्वारा भूखण्ड सं. ए–431 का बेचान करना भी पाया जाता है। अतः उपायुक्त को निर्देशित किया गया कि प्रकरण की पुनः जांच कर एजेण्डा नोट आगामी बैठक में पूर्ण तथ्यों के साथ प्रस्तुत करें।
		92:5	मैसर्स सहारा प्राईम सिटी लिमिटेड की निजी खातेदारी की अनुमोदित योजना सहारा सिटी होम्स के सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित 40 प्रतिशत में आ रही 9297.14 व.मी. में से विधुत सब	मैसर्स सहारा प्राईम सिटी लिमिटेड की निजी खातेदारी की अनुमोदित योजना सहारा सिटी होम्स के सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित 40 प्रतिशत में आ रही 9297.14 व.मी. में से विधुत सब स्टेशन के लिए 3688.20 व.मी. व टेलिफोन एक्सचेंज हेतु 507.48 व.मी. कुल 4195.68 व.मी. भूमि का आवंटन

JDA/EDP/R-387
11/2/2013

(उपायुक्त (प्रशासन))
सचिव, भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			रटेशन के लिए 3668.20 व.मी. व टेलिफोन एक्सचेंज हेतु 507.48 व.मी. कुल 4195.68 व.मी. भूमि का आवंटन करने बाबत।	चाहा गया है। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के बिन्दु सं. 5.01 -सी टेबल बी के 2(IV) के अनुसार किसी योजना में आरक्षित विक्रय योग्य सुविधा क्षेत्र विकासकर्ता के आवेदन पर आवासीय आरक्षित दर पर उक्त सुविधाओं के विकास के लिए विकासकर्ता को आवंटित करने का प्रावधान है। विकासकर्ता आवेदक द्वारा आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन चाहा गया हैं। समिति द्वारा विचार–विमर्श कर राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के बिन्दु सं. 5.01–सी टेबल बी के 2(IV) के अनुसरण में विकासकर्ता को 4195.68 वर्गमीटर भूमि आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय इस शर्त पर लिया गया कि आवंटन तिथी से 1 वर्ष के भीतर विकासकर्ता को निर्माण प्रारम्भ करना होगा तथा भूमि जिस उद्देश्य के लिए आवंटित की गई है उसी उपयोग में ली जावेगी।
6.	13	92:6	पुलिस स्टेशन दौलतपुरा हेतु ग्राम चौंप स्थित नोलेज सिटी नोर्थ के भूखण्ड सं. एफ–1 में से 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत।	समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उपायुक्त द्वारा मौका देखकर भूमि रिक्त होने की स्थिति में 1000 वर्गमीटर आरक्षित की जावे। आवंटन की निःशुल्क स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को निवेदन किया जावे।
7.	14	92:7	वन विभाग को सुरक्षा चौकी हेतु ग्राम चन्दलाई में 400 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत।	मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2025 के अनुसार प्रश्नगत भूमि खसरा नं. 3721 ग्राम चन्दलाई का भू–उपयोग रिक्रेशनल यूज दर्शाया गया है। आयोजना शाखा की टिप्पणी अनुसार रिक्रेशनल यूज में दर्शाई गई भूमि पर अधिकतम 30 वर्गमीटर भूमि पर ही निर्माण कार्य अनुज्ञेय है। अतः वन विभाग को सरक्षा चौकी हेतु उक्त भूमि में से 400 वर्गमीटर भूमि इस शर्त पर आवंटित की जाती है कि अधिकतम 30 वर्गमीटर तक चौकी हेतु कमरे का निर्माण किया जावे। निःशुल्क आवंटन हेतु राज्य सरकार को निवेदन किया जावे।
8.	10	92:8	पालडी मीणा योजना के सुविधा क्षेत्र में मदरसा हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	जोन से पालडी मीणा योजना का नक्शा प्राप्त न होने के कारण प्रकरण स्थगित किया गया व आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
आयुक्त महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा पर चर्चा कर निर्णय लिये गये :–				
9.	12	92:8(1)	श्री एन.एस. देवल को भूखण्ड सं. ए–209 हाथोज समूह योजना क्षेत्रफल 162.00 व.मी. के स्थान पर अन्य भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	प्रकरण में पूर्व आवंटित भूखण्ड का कब्जा एसडीएम कोर्ट जयपुर में नारायण बनाम सरकार का वाद वर्ष 1993 से विचाराधीन होने के कारण नहीं दिया जाना उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया। अतः समिति द्वारा विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि विनिमय में दिया जाने वाला भूखण्ड कॉर्नर न हो, समान चौडाई की सडक पर स्थित हो व पूर्व आवंटित भूखण्ड के माप से अधिक का न हो, की सुनिश्चितता की जाकर लॉटरी द्वारा दिया जावे।
10.	12	92:8(2)	श्री विनोद कुमार अरोडा को भूखण्ड सं. ए–169 हाथोज समूह योजना क्षेत्रफल 162.00 व.मी. के स्थान पर अन्य भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	प्रकरण में पूर्व आवंटित भूखण्ड का कब्जा एसडीएम कोर्ट जयपुर में नारायण बनाम सरकार का वाद वर्ष 1993 से विचाराधीन होने के कारण नहीं दिया जाना उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया। अतः समिति द्वारा विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि विनिमय में दिया जाने वाला भूखण्ड कॉर्नर न हो, समान चौडाई की सडक पर स्थित हो व पूर्व आवंटित भूखण्ड के माप से अधिक का न हो, की सुनिश्चितता की जाकर लॉटरी द्वारा दिया जावे।
11.	12	92:8(3)	श्री प्रेमराज शर्मा को भूखण्ड सं. सी–81 हाथोज समूह योजना क्षेत्रफल 162.00 व.मी. के स्थान पर अन्य भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	प्रकरण में पूर्व आवंटित भूखण्ड का कब्जा एसडीएम कोर्ट जयपुर में नारायण बनाम सरकार का वाद वर्ष 1993 से विचाराधीन होने के कारण नहीं दिया जाना उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया। अतः समिति द्वारा विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि विनिमय में दिया जाने वाला भूखण्ड

अति० आयुक्त
जयपुर विकास प्राधिकरण

				कॉर्नर न हो, समान चौडाई की सडक पर स्थित हो व पूर्व आवंटित भूखण्ड के माप से अधिक का न हो, की सुनिश्चितता की जाकर लॉटरी द्वारा दिया जावे।
12.	12	92:8(4)	श्री रामस्वरूप खटीक को भूखण्ड सं. सी–92 हाथोज समूह योजना क्षेत्रफल 162.00 व.मी. के स्थान पर अन्य भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	प्रकरण में पूर्व आवंटित भूखण्ड का कब्जा एसडीएम कोर्ट जयपुर में नारायण बनाम सरकार का वाद वर्ष 1993 से विचाराधीन होने के कारण नहीं दिया जाना उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया। अतः समिति द्वारा विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि विनिमय में दिया जाने वाला भूखण्ड कॉर्नर न हो, समान चौडाई की सडक पर स्थित हो व पूर्व आवंटित भूखण्ड के माप से अधिक का न हो, की सुनिश्चितता की जाकर लॉटरी द्वारा दिया जावे।
13.	12	92:8(5)	श्री अरविन्द कुमार सौन्द्रकर को भूखण्ड सं. सी–89 हाथोज समूह योजना क्षेत्रफल 162.00 व.मी. के स्थान पर अन्य भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	प्रकरण में पूर्व आवंटित भूखण्ड का कब्जा एसडीएम कोर्ट जयपुर में नारायण बनाम सरकार का वाद वर्ष 1993 से विचाराधीन होने के कारण नहीं दिया जाना उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया। अतः समिति द्वारा विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि विनिमय में दिया जाने वाला भूखण्ड कॉर्नर न हो, समान चौडाई की सडक पर स्थित हो व पूर्व आवंटित भूखण्ड के माप से अधिक का न हो, की सुनिश्चितता की जाकर लॉटरी द्वारा दिया जावे।
14.	12	92:8(6)	श्री बुद्धिप्रकाश बुनकर को भूखण्ड सं. सी–94 हाथोज समूह योजना क्षेत्रफल 162.00 व.मी. के स्थान पर अन्य भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	प्रकरण में पूर्व आवंटित भूखण्ड का कब्जा एसडीएम कोर्ट जयपुर में नारायण बनाम सरकार का वाद वर्ष 1993 से विचाराधीन होने के कारण नहीं दिया जाना उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया। अतः समिति द्वारा विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि विनिमय में दिया जाने वाला भूखण्ड कॉर्नर न हो, समान चौडाई की सडक पर स्थित हो व पूर्व आवंटित भूखण्ड के माप से अधिक का न हो, की सुनिश्चितता की जाकर लॉटरी द्वारा दिया जावे।
15.	12	92:8(7)	श्री काशीराम कटारिया को भूखण्ड सं. सी–90 हाथोज समूह योजना क्षेत्रफल 162.00 व.मी. के स्थान पर अन्य भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	प्रकरण में पूर्व आवंटित भूखण्ड का कब्जा एसडीएम कोर्ट जयपुर में नारायण बनाम सरकार का वाद वर्ष 1993 से विचाराधीन होने के कारण नहीं दिया जाना उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया। अतः समिति द्वारा विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि विनिमय में दिया जाने वाला भूखण्ड कॉर्नर न हो, समान चौडाई की सडक पर स्थित हो व पूर्व आवंटित भूखण्ड के माप से अधिक का न हो, की सुनिश्चितता की जाकर लॉटरी द्वारा दिया जावे।
16.	12	92:8(8)	श्री महेन्द्र पारीक को भूखण्ड सं. ए–210 हाथोज समूह योजना क्षेत्रफल 162.00 व.मी. के स्थान पर अन्य भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	प्रकरण में पूर्व आवंटित भूखण्ड का कब्जा एसडीएम कोर्ट जयपुर में नारायण बनाम सरकार का वाद वर्ष 1993 से विचाराधीन होने के कारण नहीं दिया जाना उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया। अतः समिति द्वारा विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि विनिमय में दिया जाने वाला भूखण्ड कॉर्नर न हो, समान चौडाई की सडक पर स्थित हो व पूर्व आवंटित भूखण्ड के माप से अधिक का न हो, की सुनिश्चितता की जाकर लॉटरी द्वारा दिया जावे।
17.	12	92:8(9)	श्री दिनेश कुमार शर्मा को भूखण्ड सं. सी- 88 हाथोज समूह योजना क्षेत्रफल 162.00 व.मी. के स्थान पर अन्य भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	प्रकरण में पूर्व आवंटित भूखण्ड का कब्जा एसडीएम कोर्ट जयपुर में नारायण बनाम सरकार का वाद वर्ष 1993 से विचाराधीन होने के कारण नहीं दिया जाना उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया। अतः समिति द्वारा विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि विनिमय में दिया जाने वाला भूखण्ड कॉर्नर न हो, समान चौडाई की सडक पर स्थित हो व पूर्व आवंटित भूखण्ड के माप से अधिक का न हो, की सुनिश्चितता की जाकर लॉटरी द्वारा दिया जावे।

उ० आयुक्त (एल पी.सी.)
र विकास प्राधिकरण, जयपुर

18.	9	92:8(10)	श्री राजकुमार अग्रवाल पुत्र श्री पी.डी. अग्रवाल का सैन्ट्रल स्पाईन योजना में भूखण्ड सं. डी-133 कॉर्नर के स्थान पर भूखण्ड सं. 202 एवं 203 में से कॉर्नर भूखण्ड आवंटन बाबत।	समिति द्वारा पाया गया कि पूर्व में आवंटित भूखण्ड का आकार 270 वर्गमीटर था, जबकि प्रस्तावित भूखण्ड 327 व 330 वर्गमीटर के आकार के है तथा कॉर्नर है, जिनका मौके पर क्षेत्रफल और बढ़ने की संभावना है। अतः निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित भूखण्डों का मौके पर वास्तविक क्षेत्रफल निर्धारित किया जावे तथा कॉर्नर के स्थान पर पूर्व आवंटित भूखण्ड के आस-पास उपलब्ध अनावंटित भूखण्ड चिन्हित किया जाकर परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।
19.	7	92:8(11)	निजी खातेदारी की योजना मेघा कॉलोनाईजर की भूमि में से जविप्रा को समर्पित भूमि 8140.80 वर्गगज में से 880 वर्गमीटर भूमि मेघा कॉलोनाईजर्स को सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लॉन्ट के निर्माण हेतु आवंटन बाबत।	निजी खातेदारी की योजना मेघा कॉलोनाईजर की भूमि में से जविप्रा को समर्पित भूमि 8140.80 वर्गगज में से 880 वर्गमीटर भूमि मेघा कॉलोनाईजर्स को सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लॉन्ट के निर्माण हेतु आवंटन चाहा गया है। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के बिन्दु सं. 5.01-सी टेबल बी के 2(IV) के अनुसार किसी योजना में आरक्षित विक्रय योग्य सुविधा क्षेत्र विकासकर्ता के आवेदन पर आवासीय आरक्षित दर पर उक्त सुविधाओं के विकास के लिए विकासकर्ता को आवंटित करने का प्रावधान है। विकासकर्ता आवेदक द्वारा आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन चाहा गया हैं। समिति द्वारा विचार-विमर्श कर राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के बिन्दु सं. 5.01-सी टेबल बी के 2(IV) के अनुसरण में विकासकर्ता को 880 वर्गमीटर भूमि आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय इस शर्त पर लिया गया कि आवंटन तिथी से 1 वर्ष के भीतर विकासकर्ता को निर्माण प्रारम्भ करना होगा तथा भूमि जिस उद्देश्य के लिए आवंटित की गई है उसी उपयोग में ली जावेगी।
20.	8	92:8(12)	गरीब/निराश्रित/संतानहीन एवं स्वयं के परिवार से प्रताडित वृद्धजनों हेतु वृद्धाश्रम भवन निर्माण के लिये भूमि आवंटन बाबत।	आयुक्त एवं शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार जयपुर ने गरीब/निराश्रित/संतानहीन एवं स्वयं के परिवार से प्रताडित वृद्धजनों हेतु वृद्धाश्रम भवन निर्माण के लिये 1 एकड भूमि निःशुल्क आवंटन की मांग की है। सायपुरा संस्थानिक क्षेत्र में भूखण्ड सं. 3 का विभाजन कर पी.डब्ल्यू.सी. से अनुमोदन की प्रत्याशा में 4000 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण मुख्य मंत्री की बजट घोषणा से संबंधित है। अतः निःशुल्क आवंटन हेतु राज्य सरकार को निवेदन किया जावे।
21.		92:8(13)	चौमू में आर.टी.ओ. व डी.टी.ओ. को भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन 13 ने ग्राम चौमू के खसरा नं. 3156-3162 एवं 3166 कुल भूमि 10.67 हेक्टे. जिस पर वर्तमान में जविप्रा की वातावरण मैत्री आवासीय (फार्म हाउस) योजना सृजित है, परन्तु उक्त भूमि पर योजना की क्रियान्विति नही की गई है। उक्त योजना के लिए इस भूमि के अतिरिक्त भूमि उपलब्ध है। अतः उक्त भूमि पर वातावरण मैत्री आवासीय (फार्म हाउस) योजना को निरस्त कर 3 बीघा भूमि प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (उत्तर) व 3 बीघा भूमि परिवहन कार्यालय चौमू को आवंटन हेतु प्रस्तावित किया है। समिति द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। प्रकरण माननीय मुख्य मंत्री की घोषणा व राजकीय विभाग से संबंधित होने के कारण निःशुल्क आवंटन हेतु राज्य सरकार को निवेदन किया जावे। शेष भूमि का सचिव जविप्रा द्वारा मौके पर निरीक्षण किया जाकर भावी उपयोग हेतु प्रस्ताव जोन के माध्यम से आगामी बैठक में प्रस्तुत कराया जावे।

अति० आयुक्त (एल पी.मी.)
पुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राज्य स्तरीय निर्माण अकादमी व एडवांस ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट के लिए नॉलेज सिटी अजरोल में भूमि आवंटन हेतु संस्थाओं द्वारा सहमति दी गई है। उक्त योजना का कुछ क्षेत्र रामगढ बांध के बहाव क्षेत्र से प्रभावित होने के कारण योजना की रीप्लानिंग कराई जा रही है, जिसमें समय लगने की संभावना है। अतः उक्त दोनो संस्थाओं को नोलेज सिटी साउथ ग्राम चित्तौडा में भूमि आवंटन की अनुशंषा राज्य सरकार को किये जाने का निर्णय लिया गया। माननीय मुख्य मंत्री की बजट घोषणा में दो कन्या छात्रावास व एक बालक छात्रावास के लिए भूमि आवंटन हेतु जिला कलक्टर जयपुर ने लिखा है किन्तु पत्र में भूमि किस लोकेशन पर चाही गई है, का उल्लेख नहीं है। विभाग के संबंधित अधिकारियों द्वारा भी जविप्रा में सम्पर्क नहीं किया गया है। अतः जिला कलक्टर जयपुर एवं विभाग के संबंधित अधिकारी से सम्पर्क किया जावे, ताकि बजट घोषणा की क्रियान्विति हेतु भूमि आवंटन किया जा सके।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त/अभियांत्रिकी–प्रथम/आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
15. उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
16. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
17. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर
18. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 92वी बैठक दिनांक 11.01.13 में उपस्थित अधिकारियों की सूची:—

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री कुलदीप रांका, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्री बिष्णु चरण मल्लिक, सचिव	सदस्य
3.	श्री डी.सी. जबडा, निदेशक (वित्त)	सदस्य
4.	श्री जे0बी0 जाखड, निदेशक (आयोजना)	सदस्य
5.	श्री ओ0पी0 गुप्ता, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि)	सदस्य
6.	श्री अनिल कुमार अग्रवाल, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
7.	श्री पुखराज सैन, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व)	सदस्य
8.	श्री गुंजन सोनी, उपायुक्त जोन—10	विशेष आमंत्रित
9.	श्री संजय जैन, उपायुक्त जोन—13	विशेष आमंत्रित
10.	श्रीमती सावित्री शर्मा, तहसीलदार जोन—8	विशेष आमंत्रित

अति० [illegible] ([illegible])
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर